


कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित प्रधानाचार्य-उमावि के संबंध में जारी विभागीय आदेश में कार्मिक के नाम के सामने अंकित कॉलम (कॉलम संख्या-4 के अनुसार) में उल्लिखितानुसार संशोधन एतद्वारा किया जाता है:-

क्र सं.	नाम अधिकारी	पदस्थापन स्थान	संशोधन
1	2.	3	4
1	श्री माडूराम मीना प्रधानाचार्य	राउमावि करनीकोट, मुण्डावर, अलवर	विभागीय आदेश दिनांक 18.7.19 में क सं 5 पर अंकित कार्मिक का नाम गाडूराम मीना के स्थान पर माडूराम मीणा पढा जावे।
2	श्री रमेश चन्द्र यादव सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य	राउमावि जखराना, बहरोड, अलवर	विभागीय आदेश दिनांक 20.2.19 में क सं 5 में अंकित कार्मिक का वर्तमान पदस्थापन स्थान राउमावि शाहपुरा, तिजारा, अलवर के स्थान पर राउमावि जखराना, बहरोड, अलवर पढा जावे।


शेष शर्तें मूल आदेशानुसार यथावत रहेगी।


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/माध्य/संस्था/बी-1, 2/प्रधाना. व प्र.अ./आंशिक संशोधन/2020 दिनांक 07.01.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत :-

- 1 विशिष्ट सहायक कार्यालय राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
- 2 संयुक्त शासन सचिव शिक्षा(ग्रुप-2)विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर
- 3 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु
- 4 संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
- 5 संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
- 6 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक
- 7 संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
- 8 संबंधित कार्मिक/संस्था प्रधान
- 9 रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक-कार्मिक